



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 83 राँची, गुस्वार, 14 फाल्गुन, 1947 (श०)
5 मार्च, 2026 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना
28 जनवरी, 2026

संख्या-11/स्था०राज०-05/2023-442--वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक-2981, दिनांक-01.09.2009 एवं ज्ञापांक-5207, दिनांक 14.08.2002 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर गृह विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन निम्नांकित कारा सेवा के पदाधिकारी को उनकी नियुक्ति तिथि से लगातार 10/20/30 वर्षों की सेवा पूरी किये जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित तालिका अनुसार प्रथम /द्वितीय/तृतीय संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र०	नाम, पदनाम एवं पदस्थापन	देय वित्तीय उन्नयन तिथि सहित	देय वेतनमान / ग्रेड पे
1.	श्री तुषार रंजन गुप्ता, सहायक कारा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ निरीक्षणालय, झारखण्ड, राँची।	तृतीय दिनांक-01.06.2023 से देय	37400-67000 ग्रेड पे० 8700/-लेवल-13

2. स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
3. ये वित्तीय उन्नयन पूर्णतः औपबंधिक है।
4. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन के निर्धारण का सत्यापन होने के उपरांत ही वित्तीय उन्नयन का लाभ देय होगा।
5. योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक-2679, दिनांक-11.10.2019 के आलोक में FR 22(1) (A) (1) के तहत आदेश/अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के समय सीमा के भीतर विकल्प चयन कर वेतन निर्धारण MACP की तिथि से अथवा अगली वेतन वृद्धि की तिथि से कराया जा सकता है।
6. उक्त सूचियों में अंकित पदाधिकारी के संबंध में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उनसे भुगतान की राशि की प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

संतोष कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।
